उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73-नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष :-0135-2657610, फैक्स :-0135-2655488

पत्रांक: ई- 7747 / 32-35 दिनांक: 26 मार्च, 2019

संशोधित निविदा सूचना

इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या ई-7722/32-35 दिनांक 23.03.2019 द्वारा वाहय श्रोत से सेवा Out Sourcing of Services प्रदान करने वाली फर्मों से कार्मिकों की सेवा हेतु आमंत्रित निविदा के दिनांक 08.04.2019 के स्थान पर दिनांक 15.04.2019 पढ़ा जाय।

महाप्रबन्धक (विविध)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

द्वारा

बाह्यस्रोत से सेवायें प्राप्त करने हेतु

निविदा का प्रारूप।

निविदा संख्या– पत्रांक ई–7722/32–35 दिनांक 23 03 2019

आवेदित सेवायें–

1. पैकेज–1 में खनन मैनेजमेंट साफ्टवेयर KMS के संचानल हेतु 3 श्रेणी के कार्मिक।
2. पैकेज–2 में कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कम्प्यूटर आपरेटर एवं कार्यालय सहायक के कार्मिक।
3. पैकेज–3 में वाहन चालक के कार्मिक।
4. पैकेज–4 में सहायक लेखाकार के कार्मिक।
5. पैकेज–5 में चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक।
6. पैकेज–6 में माली के कार्मिक।

निविदा जमा करने की तिथि व समय– 15.04.2019 को मध्यान्ह 02.00 बजे, अरण्य भवन, 73, नेहरू रोड़, देहरादून

निविदा संख्या– पत्रांक ई– 7726/32–35 दिनांक 23.03, 2019

सूची

क्र0सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	निविदादाताओं हेतु निर्देश	3–6
2	अनुबन्ध की शर्ते एवं प्रतिबन्ध	7–9
3	सेवा के मांग का विवरण	10–14
4	तकनीकी निविदा के प्रारूप	15–16
5	वित्तीय निविदा का प्रारूप	17
6	तकनीकी निविदा मूल्याकन तालिका	18

अध्याय–1 निविदादाताओं हेतु निर्देश

1. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में बाहय स्रोत से सेवायें कराये जाने के प्रयोजन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा फर्मों/ठेकेदारों/संस्थाओं से दो निविदाओं वाली प्रणाली के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की जा रही है।
2. टैक्निकल प्रस्ताव और फाईनेनशियल बिड अलग–अलग लिफाफे में देनी होगी। टेक्निकल प्रस्ताव के सीलबंद लिफाफे ऊपर लिखें– TECHNICAL PROPOSAL" और फाईनेनशियल बिड के सीलबंद लिफाफे के ऊपर लिखें– "FINANCIAL BID"। उक्त दोनों लिफाफो पर अपनी फर्म का नाम भी लिखें। इन दोनो लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर उस बडे लिफाफे पर "वाहय स्रोत से सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा" लिखे तथा अपने फर्म का नाम भी लिखें।
3. निविदा के सीलबंद लिफाफा में प्रेषिति का नाम लिखें– 'प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, 73 नेहरू रोड, देहरादून पिन– 248001
4. निविदा किसी भी कोरियर सर्विस से प्रेषित करें और सुनिश्चित हो लें कि कोरियर सेवा टेण्डर प्राप्त होने की निर्धारित समय से पूर्व निर्धारित कार्यालय स्थल पर आपकी निविदा पहुंचा दे। विशेष पत्रवाहक द्वारा निविदा प्रेषित करने पर सुनिश्चित कर लें कि विशेष पत्रवाहक द्वारा निर्धारित कार्यालय से लिखित रूप में 'MIS PACKAGE निविदा आदि हेतु निविदा की प्राप्ति' प्राप्त कर ली जाये। निर्धारित समय के बाद प्राप्त हुई निविदा Non Responsive मानी जायेगी जिस पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. <u>निविदा जमा करने का स्थान एवं अंतिम समय–</u> 15.04.2019 को मध्यान्ह 02:00 बजे (दो बजे) – तक कार्यालय प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम, 73 नेहरू रोड, देहरादून के डाक प्राप्ति कक्ष में।
6. <u>निविदा प्रपत्रों की प्राप्ति/उपलब्धता –</u> निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.uafdc.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है जो निविदा प्रपत्र निःशुल्क है।
7. <u>निविदा खोलने का स्थान एवं समय–</u> निविदा प्राप्त होने की तिथि (दिनांक 15.04.2019) को ही अपरान्ह 03:00 बजे उपस्थित निविदाताओ के समक्ष कार्यालय प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम, 73 नेहरू रोड, देहरादून के सभागार में निविदा खोली जायेगी।

टैक्निकल प्रस्ताव का लिफाफा खोला जायेगा तथा अर्नस्ट मनी की राशि का विवरण पढा जायेगा। शेष तकनीकी विशिष्टिता का मूल्यांकन समिति द्वारा बाद में किया जायेगा।

8. प्री–बिड कान्फ्रेंस की कार्यवाही दिनांक 10.04.2019 को मध्यान्ह 12:00 बजे कार्यालय प्रबन्ध निदेशक 73, नेहरू रोड के सभागार में की जायेगी जिसमें निविदा देने से पूर्व किसी शंका का निराकरण किया जायेगा। सभी इच्छुक इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं।

9. वित्तीय प्रस्ताव का लिफाफा दिनांक 15.04.2019 को मध्यान्ह 03:00 बजे कार्यालय प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम, 73 नेहरू रोड, के सभागार में खोला जायेगा।

10. तकनीकी मूल्यांकन में सफल निविदादाताओं को ई–मेल से सूचना दी जायेगी तथा एक प्रति कार्यालय के सूचना पटट तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। वित्तीय प्रस्ताव खोलते समय केवल तकनीकी मूल्यांकन में सफल निविदादाता आमंत्रित होंगे तथा केवल तकनीकी मूल्यांकन में सफल निविददाताओं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी। शेष निविददाताओं की वित्तीय निविदा बिना खोले ही वापस कर दी जायेगी।

11. टैक्निकल प्रस्ताव के साथ रू0 1,00,000/– शब्दों मे रू0 एक लाख मात्र का बैंक एफ0डी0आर0 जोकि प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में बन्धक कर निविदा के साथ जमा करेगें। एफ0डी0आर0 की समय–सीमा 22.05.2022 तक वैध होनी चाहिये। बिना एफ0डी0आर0 जमा किये हुए निविदा मान्य नही होगी। असफल निविदादाताओं को अरनेस्ट–मनी के रूप में प्राप्त एफ0डी0आर0 निविदाओं की समीक्षा के उपरान्त वापस कर दिये जायेगें। सफल निविदादाता द्वारा अपनी निविदा वापस लेने का आग्रह करने पर या अपनी किसी भी बिड पर त्रुटिपूर्ण सूचना देने पर एफ0डी0आर0 के रूप में जमा धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। एफ0डी0आर0 जमा के रूप में प्राप्त धनराशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

12. बाह्य सेवायोजक का दायित्व होगा कि उपलब्ध कराये गये कार्मिको के विरूद्ध कोई पुलिस रिकार्ड, अपराधिक केस इत्यादि न हो। अतः सफल निविदादात द्वारा सेवायोजक के रूप में पूरी छानबीन कर प्रत्येक कर्मी का चरित्र प्रमाण–पत्र देना होगा।

13. इस निविदा द्वारा जिन कार्य हेतु बाहय स्रोत की सेवाओं की निविदा आमंत्रित की जा रही हैं में उनमें से प्रत्येक सेवा को एक "पैकेज" कहा गया है। इस निविदा के अन्तर्गत निम्नलिखित 06 सेवा पैकेज बनाये गये हैं। निविदादाता को समस्त 06 पैकेज हेतु निविदा डालना होगा। पैकेज निम्नवत है जिनका विवरण अध्याय–3 में दिया गया है।

पैकेज	सेवा
पैकेज–1 :	उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा विकसित खनन मैनेजमेंट साफ्टवेयर (KMS) के संचालन हेतु 1 सर्वर प्रशासक वरिष्ठ, 02 कनिष्ठ सर्वर प्रशासक तथा फील्ड KMS आपरेटर।
पैकेज–2 :	देहरादून स्थित उत्तराखण्ड वन विकास निगम के शिविर कार्यालय हेतु प्रोग्रामर, कम्प्यूटर आपरेटर एवं कार्यालय सहायक।
पैकेज–3 :	वाहन चालक
पैकेज–4 :	सहायक लेखाकार
पैकेज–5 :	चतुर्थ श्रेणी कर्मकार (डाकिया/कुक/खलासी/सफाईकर्मी आदि)
पैकेज–6 :	माली

14. प्रत्येक पैकेज के कर्मी हेतु मूल वेतन एवं अर्हता निर्धारित की गई है जिसे अध्याय–3 तकनीकी विशिष्टता में लिखा गया है।

15. बाहय सेवा प्रदान करने वाले इच्छुक निविददाता को तकनीकी निविदा में यह उल्लेख करना होगा कि प्रत्येक पैकेज के प्रत्येक श्रेणी के कर्मी को देय मूल–वेतन के आधार पर किन–किन मदों पर, किस–किस दर पर, कितनी–कितनी धनराशि कौन से अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक रूप से देय है तथा मूल–वेतन से लेकर समस्त देयकों का योग तकनीकी निविदा प्रारूप–2 में दर्शाना होगा। यह योग की धनराशि को मूल नियोक्ता द्वारा उक्त पैकेज के प्रत्येक कर्मी के लिये देय राशि कहलायेगी। परन्तु कार्मिक की टेक होम पे अध्याय–3 सेवा के मॉग का विवरण के बिन्दु 05 में वर्णित धनराशि से किसी भी दशा मे कम नही होनी चाहिये। सफल निवेदादाता से प्रारूप–2 में दी गई सूचना के सम्बन्ध में वन निगम द्वारा साक्ष्य की मॉग भी की जा सकती है।

16. तकनीकी निविदा के प्रारूप–2 को प्रत्येक आवेदित पैकेज के प्रत्येक कार्मिक श्रेणी के लिये पृथक–पृथक भर कर देंगे। इस प्रारूप–2 में उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर व्यय भार का वह हिस्सा लिखा जाना है जो कार्मिक को सीधे मिलेगा एवं सरकार के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय कार्यालय को दिया जायेगा। इस प्रारूप–2 में निविदादाता को उक्त सेवायें प्रदान करने वाली फर्म को प्राप्त होने वाली सेवा शुल्क एवं सेवा–कर का उल्लेख नहीं किया जाना है क्योंकि उक्त धनराशि को वित्तीय निविदा में पृथक लिफाफे सीलबंद कर दिया जाना है। वित्तीय निविदा में यह उल्लेख करना होगा कि प्रत्येक पैकेज के कर्मी को मूल सेवायोजक द्वारा देय राशि का योग पर सेवायोजक द्वारा कितनी प्रतिशत सेवाशुल्क के रूप में लिया जायेगा तथा सेवा–कर का कितना प्रतिशत मूल नियोक्ता द्वारा देय होगा तथा सेवा–कर का कितना प्रतिशत सेवायोजक द्वारा देय होगा।

17. इस निविदा प्रपत्र के अध्याय–5 में वित्तीय निविदा के प्रारूप में प्रत्येक पैकेज के अन्तर्गत विभिन्न कार्य श्रेणी के कर्मकार की सेवा प्रदान करने हेतु वित्तीय निविदा में प्रस्तावित सेवा–शुल्क प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक कार्य श्रेणी के कर्मकारों की संख्या से गुणा किया जायेगा और प्रत्येक पैकेज हेतु जिस निविदादाता का सेवा शुल्क एवं नियोक्ता द्वारा देय कुल योग (जो तकनीकी निविदा प्रारूप–2 के कमांक 08 में अंकित होगा) की धनराशि न्यूनतम होगी उसे सर्वप्रथम अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

18. टाई अर्थात समान दरें होने पर वरीयता देने का कम निम्न प्रकार होगाः–

(अ) राज्य का उपक्रम

(ब) उत्तराखण्ड में पंजीकृत फर्म/इकाई

(स) टौस (Toss of coin)

19. वन निगम को बिना कारण स्पष्ट किये निविदाओं को खोलने की तिथि व समय को बढाने या संशोधन करने तथा निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।

20. बाह्य सेवायोजक द्वारा बिना किसी शर्त के अपनी निविदा प्रेषित करनी होगी। सुसंगत नियमों के निर्धारण करने वाले विभाग द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तो का उनके द्वारा पालन किया जायेगा।

21. बाह्य सेवायोजक द्वारा फाइनेनशियल बिड में सभी दरों को अंको व शब्दों में बिना संशोधन, कॉट–छॉट के लिखना होगा। अंको व शब्दों में अंतर होने पर अंको पर दर्शायी गई दर मान्य होगी।

22. बाह्य सेवायोजक के अधिकृत अधिकारी द्वारा ही हस्ताक्षर किया जायेगा तथा नाम, पद, पता, ई–मेल, फैक्स स्पष्ट रूप से लिखा जायेगा।

23. बाह्य सेवायोजक द्वारा निविदा के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर व मुहर लगानी होगी साथ ही निविदा के साथ संलग्न सभी अभिलेखों पर भी हस्ताक्षर व मुहर लगानी होगी।

24. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के कार्यालय में नियत तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होनी वाली निविदाओं पर विचार किया जाना नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है अतः सम्भव नही होगा।

अध्याय–2 अनुबंध की शर्ते एवं प्रतिबन्ध –

1. अनुबन्ध प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून एवं सफल चयनित निविदादाता के मध्य होगा। प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को "प्रथम पक्ष" तथा सफल चयनित निविदादाता को "द्वितीय पक्ष" कहा जायेगा। सन्तोषजनक वार्षिक आंकलन पर अनुबन्ध 03 वर्ष तक रहेगा।

2. द्वितीय पक्ष को प्रत्येक कर्मी से लिखित अनुबन्ध करना होगा जिसकी प्रति उत्तराखण्ड वन विकास निगम को भी उपलब्ध करानी होगी। इस अनुबन्ध पर कार्मिक का बैंक अकाउण्ट नम्बर भी दर्ज होगा जिसमें द्वितीय पक्ष द्वारा मासिक रूप से देय वेतन राशि डाली जायेगी।

3. श्रमिक क्षतिपूर्ति नियमावली Workman's Compensastion Act 1948 के प्रावधान के अन्तर्गत कर्मकारों के वेतन /मजदूरी की निर्धारित सीमा की अधीन आने वाले कर्मकारों पर ही लागू होंगे।

4. प्रथम पक्ष द्वारा संतोषजनक सेवा प्राप्त होने पर कार्मिको की सेवाओं का भुगतान द्वितीय पक्ष को माहवार दरों पर किया जायेगा। किसी कार्य दिवस पर अनुपस्थित रहने पर उतने दिन के पारिश्रमिक की कटौती की जायेगी। कार्मिको को घोषित अवकाश/रविवार को सामान्य कार्य समय के बाद राजकीय कार्य सम्पादन में आवश्यकता होने पर कार्य पर बुलाया जा सकता है।

5. द्वितीय पक्ष के द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों को प्रति माह में एक दिन की दर से आकस्मिक अवकाश उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। यह आकस्मिक अवकाश अधिकार नहीं है।

6. प्रथम पक्ष के कार्यालय में कार्य करने की अवधि प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक होगी जिसमें 30 मिनट का भोजनावकाश होगा। सप्ताह में एक दिन का अवकाश रहेगा। कार्यावधि के समय को परिवर्तित भी किया जा सकता है।

7. द्वितीय पक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि वह उन्हीं कार्मिको को काम पर भेजे जो अनुभवी, प्रशिक्षित व स्वस्थ हों तथा अनुशासित व व्यवहारकुशल भी हो। कम्प्यूटर ऑपरेटर को एम0एस0 आफिस, टैली तथा हार्डवेयर की सामान्य जानकारी होना आवश्यक होगा। साथ ही हिन्दी व अंग्रेजी टाईप में दक्ष होना भी अनिवार्य है। ड्राईवर के पास व्यवसायिक वाहन चालन का लाईसेंस अनिवार्य होगा तथा लाईसेंस की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी। ड्राईवर को वर्दी द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध करानी होगी।

8. यदि कोई कर्मी कार्य करने में उपयुक्त नही पाया जाता है तो द्वितीय पक्ष को तुरन्त प्रतिस्थानी की व्यवस्था करनी होगी।

9. प्रथम पक्ष के कार्यालय में जिस शाखा हेतु कार्मिको को रखा जायेगा उस शाखा प्रभारी के अधीन कार्मिक कार्य करेगें तथा शाखा प्रभारी द्वारा दिये गये कार्यो को त्वरित रूप से करेगें।

10. प्रथम पक्ष के अधिकारियों द्वारा राजकीय कार्य सम्पादन हेतु स्थानीय टूर पर भेजे जाने पर द्वितीय पक्ष के कार्मिकों को प्रथम पक्ष द्वारा वास्तविक यात्रा–व्यय/प्रोत्साहन राशि सीधे कार्मिक को प्रतिपूर्ति की जायेगी। कार्यालय में कम्प्यूटर आपरेटर का कार्य करने वाले कार्मिकों को उक्त प्राविधान अक्षरसः लागू होगा। खनन मैनेजमेंट साफ्टवेयर के संचालन हेतु फील्ड में कार्य करने वाले कार्मिकों को दुपहिया वाहन भत्ता एवं ईंधन भत्ता की सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसका निर्धारण सम्बन्धित कार्मिक के सीधे नियंत्रण वाले प्रभाग के अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार के प्रतिपूर्ति किये जाने वाले व्यय का प्राविधान द्वितीय पक्ष की वित्तीय प्रस्ताव में नहीं रखा जायेगा।

11. प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित किसी भी प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति व प्रोत्साहन राशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मी को सीधे किया जायेगा। वेतन की श्रेणी में आंगणित होने वाले भत्ते को द्वितीय पक्ष के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी अभिलेखों को तैयार करना/रखना अनिवार्य होगा। वन निगम अथवा प्राधिकृत Auditor द्वारा इन अभिलेखों का कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है। उपरोक्त की अवहेलना होने पर कभी भी संविदा को निरस्त किया जा सकता है।

13. द्वितीय पक्ष द्वारा भविष्य निधि/पैन (PAN)/टैन (TAN)/सेवाकर/श्रम विभाग से कराये गये पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति, प्रति वर्ष प्रथम पक्ष को देना अनिवार्य होगा।

14. प्रथम पक्ष द्वारा मांगे जाने पर कार्यरत कर्मियों का ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 नम्बर द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

15. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मजदूरी/भविष्य निधि/करों/सेवाकर आदि में परिवर्तन किये जाने पर ही वन निगम द्वारा वित्तीय वर्ष के मध्य में दरों में परिवर्तन/संशोधन किया जायेगा।

16. द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह 02 तारीख तक कार्मिकों के भुगतान हेतु बिल वन निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा भुगतान हेतु अपना बिल प्रस्तुत करते समय पिछले माह का कार्मिक को किये गये भुगतान तथा अन्य राजकीय देयकों (ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 आदि जमा) का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। किन्हीं अपरिहार्य कारणोवश निगम द्वारा भुगतान में विलम्ब होने पर वन निगम का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

17. द्वितीय पक्ष द्वारा भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार श्रोत पर आयकर की वसूली करने के पश्चात् एकाउन्ट में ट्रांसफर माह की 10 तारीख तक किया जायेगा।

18. द्वितीय पक्ष के माध्यम से कार्य करने वाले कार्मिक द्वितीय पक्ष के कार्मिक होगें। इस आशय का अनुबन्ध द्वितीय पक्ष व कर्मी के मध्य करना होगा। जिसकी प्रति वन निगम को उपलब्ध करानी होगी।
19. द्वितीय पक्ष के माध्यम से कार्य करने वाले कार्मिको द्वारा किये गये गलत, बेईमानी इत्यादि कार्य हेतु जिनसे किसी व्यक्ति को क्षति पहुँची हो, वन निगम उत्तरदायी नही होगा।
20. उपलब्ध कराये गये कार्मिको द्वारा वन निगम की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाये जाने पर उसकी क्षतिपूर्ति द्वितीय पक्ष से की जायेगी।
21. द्वितीय पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को कार्यालय भवन में प्रवेश की अनुमति नही होगी।
22. द्वितीय पक्ष तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिको के मध्य विवाद होने पर वन निगम उत्तरदायित्व नही होगा।
23. द्वितीय पक्ष द्वारा किसी कार्मिक को बदलने हेतु विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
24. प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्येक कार्मिक का कार्य गुणवत्ता के आधार पर मूल वेतन/टेक होम पे में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित हमेशा रहेगा। पदों की संख्या घटायी व बढ़ायी जा सकती है तथा पदनाम परिवर्तन भी किया जा सकता है।
25. कार्यालय का अधिकार हमेशा सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी समय बिना किसी पूर्व नोटिस के या बिना कारण बतायें अनुबंधित बाह्य सेवायोजक एजेनसियों/फर्म/व्यक्तियों का अनुबन्ध निरस्त/संशोधित कर सकता है।

अध्याय–3 सेवा के मांग का विवरण

1. उत्तराखण्ड वन द्वारा उपखनिज खनन का कार्य वर्तमान में शारदा, गोला, नन्धौर, दाबका, कोसी, सौंग और जाखन 7 नदियों में कुल 3700 हेक्टेअर क्षेत्र में किया जाता है। उक्त क्षेत्रफलल से 128 लाख घ0मी0 उपखनिज का खनन वार्षिक किये जाने की अनुमति प्राप्त है। इस कार्य के सम्पादन हेतु कुल 6 खनन प्रभाग स्थापित हैं जो कुल 40 गेटों से उपखनिज खनन का नियंत्रण रखते हैं। इसके अतिरिक्त गंगा एवं सहायक नदियां 07 में कुल 1249 हेक्टेयर में कुल 18.11 लाख घ0मी0 के लिये 11 अतिरिक्त गेट स्थापित किये जायेंगे। नदियों से उपखनिज को वाहनों में लाद कर निकाला जाता है। वाहन में लदे उपखनिज की मात्रा को धर्मकांटे पर तोला जाता है। तोले गये भार के आधार पर उपखनिज के घ0मी0 का आंकलन किया जाता है। वाहन में लदे उपखनिज की मात्रा के आधार पर विभिन्न देयकों का मूल्यांकन किया जाता है। खनिज क्षेत्र के गेट पर उपखनिज से लदे वाहन से देय धनराशि प्राप्त की जाती है और प्रतिदिन बैंकों में जमा की जाती है। वाहन को गेट से निकासी के समय निर्गमन प्रपत्र भी जारी किया जाता है। प्राप्त कुल धनराशि की फांठ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को की जाती है। उक्त समस्त कार्यवाही करने हेतु धर्मकांटे को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। कम्प्यूटर के लिये एक विशिष्ट साफ्टवेयर विगत वर्षों से उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है जिसे खनन मैनेजमेंट साफ्टवेयर (KMS) कहते हैं। पूर्ववर्ती वर्षो में KMS का रख–रखाव वही निजी फर्म करती थी जिसके द्वारा KMS का कम्प्यूटर प्रोग्राम लिखा गया था। सितम्बर 2013 से KMS के रख–रखाव का कार्य उक्त फर्म से हटा कर स्वयं निगम द्वारा किया जाना प्रारम्भ किया गया।

2. KMS के रख–रखाव हेतु एक सर्च टीम बनाई गई थी जिसने KMS के जानकार कार्मिकों को चिन्हित कर अक्टूबर 2019 से प्रारम्भ होने वाले खनन सत्र का निंबाध संचालन सुनिश्चित किया। कुल 7 खनन प्रभागों में KMS के संचालन हेतु कुल 9 कर्मी फील्ड में कार्य करते हैं। फील्ड कर्मी अपने दुपहिये वाहन का प्रयोग करते हैं। देहरादून स्थित सर्वर कक्ष का संचालन वर्तमान नेटवर्क सिस्टम एनालिस्ट द्वारा किया जा रहा है तथा 2 सहायक कम्प्यूटर आपरेटर हैं जो कार्यालय में टंकण का भी कार्य करते हैं। इन कुल 12 कर्मियों की आवश्यकता आगे भी अनिवार्य है।

3. भविष्य में खनन के और क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने की प्रकिया गतिमान है। हरिद्वार के समीप गंगा एवं सहायक नदियों का प्रस्ताव, मालन नदी, सुखरौं नदी का प्रस्ताव मुख्य हैं। 50 हे0 से कम क्षेत्रफल वाली दो नदियों की पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अतिरिक्त नदियों में खनन कार्य प्रारम्भ होने पर इस निविदा प्रक्रिया में निर्धारित दरों पर फील्ड KMS आपरेटर की संख्या में बढोत्तरी हो

सकती है। इसी सिद्धान्त के आधार पर भविष्य में किसी कारण वश यदि खनन कार्य हेतु नदियों की संख्या में कमी होती है तब कर्मचारियों की संख्या में कमी की जायेगी।

4. उक्त पूर्ण कार्यवाही हेतु एक Management Information System (MIS) का गठन किया जायेगा। देहरादून मुख्यालय में तैनात अधिकारी MIS Cell के प्रभारी होंगे। MIS Cell के संचालन का व्यय खनन क्षेत्र पर स्थापित कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे से प्राप्त Regulatory Fees से वहन किया जायेगा।

5. एक विभाग में एक MIS Cell की अवधारणा के अन्तर्गत देहरादून कार्यालय में समस्त डेटा एन्ट्री आपरेटर का व्यय भार पृथक–पृथक स्रोत से समाप्त करते हुये एक ही स्रोत से किये जाने पर एक जैसा कार्य कर रहे प्रत्येक कर्मी को देयक में समानता रहेगी। MIS Cell निम्नवत रेखाकिंत है और उक्त MIS Cell में योगदान देने हेतु कार्मिकों की सेवायें बाहय सेवा स्रोत प्राप्त की जानी हैं। प्रत्येक पैकेज के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न कार्य सम्पादित करने वाले कार्मिकों की संख्या एवं देय मासिक वेतन निम्नवत तालिका में दर्शाई गई है। पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है तथा पदनाम परिवर्तन भी किया जा सकता है।

पैकेज	कर्मी का प्रकार	कर्मी की संख्या जिसकी आवश्यकता है।	वेतन जो उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कर्मी के लिये निर्धारित किया गया है। Take Home Pay (प्रतिमाह शुद्ध भुगतान योग्य धनराशि अन्य देयक कर आदि अतिरिक्त)
पैकेज–1	KMS सर्वर–प्रशासक–वरिष्ठ	1	रू0 52238 प्रति माह
	KMS सर्वर–प्रशासक–कनिष्ठ	2	रू0 38405 प्रतिमाह
	फील्ड KMS आपरेटर	9	रू0 17679 प्रतिमाह
पैकेज–2	प्रोग्रामर	1	रू0 20000 प्रतिमाह
	कम्प्यूटर आपरेटर	15	रू0 17679 प्रतिमाह
	कार्यालय सहायक	02	रू0 17679 प्रतिमाह
पैकेज–3	ड्राइवर	7	रू0 17679 प्रतिमाह
पैकेज–4	सहायक लेखाकार	01	रू0 17679 प्रतिमाह
पैकेज–5	चतुर्थ श्रेणी	22	रू0 13183 प्रतिमाह

पैकेज–6	माली	03	रू0 9333 प्रतिमाह

नोटः– उपरोक्त में सम्मिलित नही किये गये लेखाकार पद के सम्बन्ध में पृथक से विवरण दिया जायेगा।

6. बाहय स्रोत से प्राप्त की जाने वाली सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न पैकेज के अधीन रखे गये विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने वाले कार्मिक की अर्हता एवं कार्मिक द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण तथा कार्य संचालन हेतु कार्मिक को उपलब्ध कराये जाने वाले, उपकरण, इन्सेंटिव तथा व्यय जिसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी, का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है–

पैकेज–1 का KMS सर्वर–प्रशासक– वरिष्ठ	रू0 52238 / – प्रतिमाह टेक होम पे
अर्हताः– स्नातक (विज्ञान) + डिप्लोमा न्यूनतम एक वर्ष का– हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग + KMS में 5 वर्ष का अनुभव + Microsoft Certified Professional (MCP) का न्यूनतम एक सर्टिफिकेट।	कार्य का विवरणः– देहरादून स्थित कार्यालय में सर्वर के निरन्तर निबाधित संचालन सम्बन्धी सभी कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु निगम के MIS के प्रभारी अधिकारीगणों के समक्ष ससमय पत्रावलियां प्रस्तुत करना तथा प्रत्येक कार्यदिवस को KMS का संचालन, बैकअप, रिर्पोटिंग करना। फील्ड में तैनात KMS आपरेटरर्स का मार्गदर्शन करना तथा सम्पूर्ण KMS का समन्वय सभी सम्बन्धित से बनाये रखना।
पैकेज–1 का KMS सर्वर–प्रशासक–कनिष्ठ है)	रू0 38405 प्रतिमाह टेक होम पे
अर्हताः– स्नातक + डिप्लोमा न्यूनतम एक वर्ष का– हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग + KMS में 5 वर्ष का अनुभव।	कार्य का विवरणः– खनन प्रभाग हल्द्वानी में मुख्यालय से सम्पूर्ण कुमांऊ क्षेत्र के KMS आपरेटरर्स का मार्गदर्शन करना तथा सम्पूर्ण KMS का समन्वय सभी सम्बन्धित अधिकारीयों से बनाये रखना। KMS आपरेटर की भांति वाहन भत्ता एवं तेल भत्ता निगम द्वारा सीधे देय होगा।

पैकेज–1 का KMS आपरेटर	रू0 17679 प्रतिमाह टेक होम पे
अर्हता:– इण्टरमीडियट + कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट + Internet का संचालन + दुपहिया वाहन का लाइसेंस + प्रत्येक कार्य दिवस खनन क्षेत्र में आने जाने हेतु तैयार।	कार्य का विवरण:– KMS का संचालन का प्रशिक्षण वन निगम प्रतिनिधि से प्राप्त करेगा। किसी एक खनन प्रभाग में तैनाती की जायेगी। खनन गेटो में कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों में KMS को क्रियान्वित करने की सम्पूर्ण कार्यवाही करना। खनन प्रभाग के प्रभारी, खनन गेट के प्रभारी से समन्वय स्थापित करना। KMS आपरेटर स्वयं का दुपहिया वाहन का प्रयोग करेगा जिस हेतु उसे वाहन इन्सेंटिव के रूप में रू0 1200 प्रतिमाह एवं खनन गेटों की दूरी के अनुपात में तेल की प्रतिपूर्ति 2 ली0 प्रति खनन कार्य दिवस की सीमा तक पृथक से नियंत्रक प्र0व0वि0 प्रबन्धक द्वारा सीधे देय होगा। KMS आपरेटर को मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जायेगा जिसका मुख्य उपयोग Open Data Kit (ODK) नामक निशुल्क एप्लीकेशन का प्रयोग कर खनन क्षेत्र की फोटो एवं सूचना को Internet के माध्यम से मुख्यालय के सर्वर पर उपल्बध करायें। ODK के प्रयोग से सूचना संकलित करने हेतु खनन क्षेत्र के अतिरिक्त लौगिंग क्षेत्रों की सूचना संकलित करने हेतु पूरे राज्य में भेजा जा सकता है। जिस हेतु सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पृथक से वास्तविक व्यय एवं भत्ते सीधे दिये जायेंगे।
पैकेज–2 का प्रोग्रामर	रू0 20000 प्रतिमाह टेक होम पे
अर्हता:– Master In Computer Application (MCA) +एक वर्ष का अनुभव	कार्य का विवरण:– उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाइट को अपडेट रखने हेतु देहरादून कार्यालय स्थित सभी अनुभागों एवं अधिकारियों से समन्वय रखना तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना स्व–प्रकट करने हेतु समस्त अधिकारियों के समक्ष सम्बन्धित पत्रावलियों में सूचना स्वप्रकट करने हेतु प्राप्त करना। अधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रोग्रामिंग से सम्बन्धित अन्य कार्य।

पैकेज– 2 का कम्प्यूटर आपरेटर	रू0 17679 प्रतिमाह Take Hme Pay
अर्हता– इण्टरमीडियट + कम्प्यूटर अप्लीकेशन का न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट + MS Word MS Excel, Power Point का ज्ञान + अग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण। न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव।	कार्य का विवरण:– देहरादून स्थित कार्यालय में तैनात रहेंगे एवं जिस अनुभाग या अधिकारी के साथ सम्बद्ध किया जायेगा निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करना
पैकेज– 2 का कार्यालय सहायक	रू0 17679 प्रतिमाह Take Hme Pay
अर्हता– इण्टरमीडियट + कम्प्यूटर अप्लीकेशन का न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट + MS Word MS Excel, Power Point का ज्ञान + अग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण। न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव।	कार्य का विवरण:– देहरादून स्थित कार्यालय में तैनात रहेंगे एवं जिस अनुभाग या अधिकारी के साथ सम्बद्ध किया जायेगा निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करना
पैकेज–3 का चालक	रू0 17679 प्रतिमाह Take Home Pay
अर्हता:– जूनियर हाईस्कूल उत्तीर्ण एवं विधि मान्य कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस + पहाडी मार्गों पर वाहन चलाने का 03 वर्ष का अनुभव।	कार्य का विवरण:– आबंटित वाहन की धुलाई सफाई प्रतिदिन करेगा तथा गाडी का रख–रखाव। वाहन में बैठने वाले अधिकारियों/यात्रियों के साथ मृदुभाषी।
पैकेज–4 का सहायक लेखाकार	रू0 17679 प्रतिमाह Take Home Pay
अर्हता– एकाउन्टैसी को एक विषय के रूप में लेकर वाणिज्य स्नातक। न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव।	कार्य का विवरण:– लेखा सम्बन्धी कार्य।
पैकेज–5 का चतुर्थ श्रेणी	रू0 13183 प्रतिमाह Take Home Pay
अर्हता– चपरासी डाकिया कुक के मामले में कक्षा 5 उत्तीर्ण व अन्य मामले में अशिक्षित। न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव।	कार्य का विवरण:– नियंत्रण अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो को सम्पादन करना।
पैकेज–6 का माली	रू0 9333 प्रतिमाह जंम भ्वउम च्ंल
अर्हता– कक्षा 5 उत्तीर्ण व अन्य मामले में अशिक्षित। न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव।	कार्य का विवरण:– नियंत्रण अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो को सम्पादन करना।

नोट:– उपरोक्त में सम्मिलित नही किये गये परन्तु आवश्यकता पडने पर किसी सेवा विशेष के सम्बन्ध में पृथक से आपसी विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा जो दोनो पक्षों पर लागू होगें।

अध्याय–4 TECHNICAL PROPOSAL

तकनीकी निविदा का प्रारूप

<u>*(फर्म के लैटरपैड पर टंकित कर प्रस्तुत करें।)*</u>

पैकेज 1 से 6 तक के लिये लागू।

तकनीकी निविदा का प्रारूप–1

1. अर्नेस्ट मनी जमा का विवरण ड्राफ्ट नं0.................बैंक गारंटी, दिनांक, बैंक का नाम व धनराशि।..
   .... (संलग्न)
2. ई0पी0एफ0 पंजीयन नं0 ....पंजीयन पत्र की छायाप्रति (संलग्न)
3. ई0एस0आई0 पंजीयन नं0...............पंजीयन पत्र की छायाप्रति संलग्नक।
4. जी.एस.टी. पंजीयन नं0......................पंजीयन पत्र की छायाप्रति संलग्नक।
5. श्रम विभाग पंजीयन नं0....................पंजीयन पत्र की छायाप्रति संलग्नक।
6. फर्म के पैन/टैन कार्ड की छायाप्रति संलग्नक।
7. बाह्य सेवायोजक के तौर पर अनुभव – (अनुभव प्रदर्शन करने के लिये राज्य सरकार के विभागों के आपूर्ति आदेश (प्रारम्भ से लेकर वर्तमान तक) एवं ई0पी0एफ0ओ0/ई0एस0आई0 को जमा की गयी चालान की प्रति उपलब्ध करायी जा सकती है। निजी कम्पनियों द्वारा आपूर्ति आदेश के साथ–साथ अनुबन्ध पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा)

<u>घोषणा</u>

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही हैं। भविष्य में यदि उक्त सूचना त्रुटिपूर्ण पायी जाती हैं तो मुझे/हमें काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व दिनांक

तकनीकी निविदा का प्रारूप–2

पैकेज 1 से 6 के लिये लागू।

प्रत्येक पैकेज के लिये पृथक–पृथक तकनीकी निविदा इस प्रारूप पर प्रेषित करें। जिसके अन्त में इस पैकेज के अन्तर्गत मुख्य नियोक्ता अर्थात उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा एक कर्मचारी को कुल देय धनराशि का योग लिखा जाना है।

प्रत्येक पैकेज के लिये पृथक–पृथक सूचना भरें।

क्र0	विवरण–पैकेज संख्या ....*(कृपया प्रत्येक पैकेज के प्रत्येक कार्मिक श्रेणी हेतु पृथक–पृथक भरें)*..................के लिये	प्रतिशत	देय धनराशि रू0 में
1	मूल वेतन	–	
2	ग्रेच्युटी		
3	बोनस		
4	*अन्य जो किसी नियमानुसार देय है* *		
5	कुल योग (क्र0सं0 1 से 4 तक)		
6	ई0पी0एफ0 क्र0सं0 1 का प्रतिशत जो देय होगा (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)		
7	ई0एस0आई0 क्र0सं0 5 का प्रतिशत जो देय होगा (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)		
8	कुल योग (क्र0सं0 5+6+7)		
	आवश्यक कटौतियां–		
9	ई0पी0एफ0 क्र0सं0 1 का प्रतिशत जो देय होगा (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)		
10	ई0एस0आई0 क्र0सं0 5 का प्रतिशत जो देय होगा (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)		
11	ई0पी0एफ0 क्र0सं0 1 का प्रतिशत जो देय होगा (कर्मचारी का अंशदान)		
12	ई0एस0आई0 क्र0सं0 5 का प्रतिशत जो देय होगा (कर्मचारी का अंशदान)		
13	*अन्य जो किसी नियमानुसार देय है।*		
14	कुल कटौती (क्र0 सं0 9+10+11+12+13)		
15	कर्मचारी को शुद्ध देय (क्र0सं0 8 – 14)		

* नियम का नाम एवं वर्ष संख्या लिखें।

अध्याय–5 वित्तीय निविदा का प्रारूप

(फर्म के लैटरपैड पर टंकित कर प्रस्तुत करें।)

पैकेज संख्या–1 से 6 तक के लिये

1. एजेन्सी/फर्म/व्यक्ति का नाम :–
2. पता टेलीफोन व फैक्स नं0 सहित :–
3. हमारी संस्था द्वारा नियोजित कार्मिकों की सेवा उपलब्ध कराने के एवेज में उनके वेतन का .... प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

सेवा–कर (जो लागू हो) का प्रतिशत एवं धनराशि पृथक से देय होगी।

घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही हैं। भविष्य में यदि उक्त सूचना त्रुटिपूर्ण पायी जाती हैं तो मुझे/हमें काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व दिनांक

तकनीकी निविदा मूल्याकन तालिका (प्रारूप–3)

	मद/विवरण	अंक
1–	अरनैस्ट मनी	8
2–	ई.पी.एफ. पंजीकरण	8
3–	ई.एस.आई पंजीकरण	8
4–	जी.एस.टी. पंजीकरण	8
5–	श्रम विभाग पंजीकरण	8
6–	पैन नम्बर	8
7–	टैन नम्बर	8
8–	वाहय सेवायोजक के रूप में अनुभाव सस्थान / वर्ष	8
9–	क्रम संख्या– 08 में वर्णित संस्थाओ का प्रमाण पत्र	8
10–	विगत 03 वर्षो के आयकर रिटर्न	8
11–	विगत 03 वर्षो के आर्थिक चिट्ठा/वित्तीय स्थिति	10
12–	उत्तराखण्ड वन निगम में संयोजक के रूप में कार्य का अनुभव	10